"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 579] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2017 —— पौष 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-28/2017/वाक/पांच (177). —— छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-28/2016/वाक/पांच (67) दिनांक 19-7-2016 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-एक में,-

कंडिका 1 (एक) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(एक) ऐसा कोई पंजीकृत व्यवसायी, जिसने पात्र नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है या विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार/शवलीकरण किया है एवं इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने की वांछा करता है, तो प्रपत्र-क में, पूर्ण आवेदन संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई स्थित है, को आवेदन करेगा. आवेदन सामान्यत: उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से अथवा अधिसूचना जारी होने की तारीख से, जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर किया जावेगा. आवेदन पत्र के साथ उद्योग विभाग व वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र यथा ई. एम. पार्ट-I या राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने वाला वैकल्पिक प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, ई. एम. पार्ट-II (यदि लागू हो तो), वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक कर विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र तथा औद्योगिक नीति 2014-19 की कंडिका 15.15 के अनुसार निवेशक के वर्ग से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे."

2. यह संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ-10-28/2016/वाक/पांच (67), दिनांक 19-7-2016 के प्रभावशील दिनांक से माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ-10-28/2017/वाक/पांच (177).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-28/2017/वाक/पांच (177), दिनांक 26-12-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 26th December 2017

NOTIFICATION

No. F-10-28/2017/CT/V (177) .— In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F-10-28/2016/CT/V (67) dated 19-7-2016, namely :-

AMENDMENT

In the Annexure-I to the said notification,-

Para 1 (One) and entries there in shall be substituted by following namely :-

"(One) A registered dealer who establishes a new eligible industrial unit or undertakes expansion/ diversification in the existing industrial unit and is desirous of availing exemption from payment of entry tax under this notification, shall make an application in Form A, complete in all respect, to the Chief General Manager/General Manager, District Trade and Industry Centre of the concerned district wherein such industrial unit is located. The application shall be made ordinarily within 1 year, from the date of commencement of commercial production or from the date of issue of the notification, whichever is later. The certificates issued by Industries Department and Commercial Tax Department such as E. M. part-I or an alternative certificate issued by the State Government (as the case may be), E. M. part-II (if applicable), Commercial Production Certificate, registration certificate of Commercial Tax Department and self attested certificate related to investor class as per Para 15.15 of the Industrial Policy 2014-19, shall be attached along with the application."

2. This Amendment shall be deemed to have come into force from effective date of notification No. F-10-28/ 2016/CT/V (67), dated 19-7-2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.